रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2355] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 30, 2015/कार्तिक 8, 1937
No.2355] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2015/KARTIKA 8, 1937

इस्पात मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2957(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय आदेश, 2012 में और संशोधन करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, नामत:-

1- (1) यह आदेश इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय (संशोधन) आदेश, 2015 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा

2- इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय आदेश, 2012 की अनुसूची की क्रम सं. 01 में भारतीय मानक संख्या 2002 से संबंधी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी नामत: :-

	(1)	(2)	(3)	(4)	
				(क) उत्पाद	(ख) निम्न तारीख से प्रभावी
"1.	2002	मध्यवर्ती और उच्च ताप सेवाएं जिसके अंतर्गत बॉयलर भी	72085110 72085120 72085210 72085220 72111300 72111420	(क) पराध्वनिक परीक्षणों की दशा में 150 मिलीमीटर से अधिक मोटाई की प्लेटें	1 अप्रैल, 2016

		है, के लिए दाब पात्र के लिए स्टील प्लेट.	72111490 72119011 72119090	(ख) पराध्वनिक परीक्षणों की दशा में 85 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 150 मिलीमीटर से अनधिक मोटाई की प्लेटें	1 जुलाई, 2014
				(ग) पराध्वनिक परीक्षणों की दशा में 80 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 85 मिलीमीटर से अनधिक मोटाई की प्लेटें	1 अप्रैल, 2014
				(घ) 16 मिलीमीटर से न्यून मोटाई और 3500 मिलीमीटर से अधिक चौड़ाई की प्लेटें	1 अप्रैल, 2014
				(ड.) उपर्युक्त (क), (ख) (ग) और (घ) को छोड़कर अन्य उत्पादों के लिए	12 सितम्बर, 2012”

[फा.सं. 1(6)/2014-टीडब्ल्यू]

सय्यदैन अब्बासी, संयुक्त सचिव

नोट:- मूल आदेश का.आ. 415 (अ) दिनांक 12 मार्च 2012 की अधिसूचना के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसे कि बाद में अधिसूचना संख्या का.आ. 2128(अ) दिनांक 10 सितम्बर, 2012, का.आ. 2510(अ) दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 और का.आ.450(अ) दिनांक 15 फरवरी, 2013, का.आ. 853 (अ) दिनांक 28 मार्च, 2013, का.आ.3011 (अ) दिनांक 1 अक्तूबर, 2013, का.आ. 979(अ) दिनांक 31 मार्च, 2014 तथा का.आ. 3064 (अ) दिनांक 4 दिसम्बर, 2014 से संशोधित किया गया है।

MINISTRY OF STEEL

ORDER

New Delhi, the 26th October, 2015

S.O. 2957(E).—).- In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order further to amend the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order, 2012, namely :--

1. Short title and commencement .- (1) This Order may be called the Steel and Steel Products (Quality Control) Second (Amendment) Order, 2015.

(2) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order, 2012, in the Schedule, against Sl. No. 1 relating to the Indian Standard number 2002, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

	(1)	(2)	(3)	(4)	
				(A) Product	(B) With effect from
"1.	2002	Steel plates for pressure vessels for intermediate and high temperature service including boilers	72085110 72085120 72085210 72085220 72111300 72111420 72111490 72119011 72119090	(a) Plates of thickness more than 150 mm in Ultrasonic Tested condition;	1st April, 2016
				(b) Plates of thickness more than 85 mm but not exceeding 150 mm in Ultrasonic Tested condition;	1st July, 2014
				(c) Plates of thickness more than 80 mm but not exceeding 85 mm in Ultrasonic Tested condition;	1st April, 2014
				(d) Plates of thickness less than 16 mm but width more than 3500 mm;	1st April, 2014
				(e) for other products excluding (a), (b), (c) and (d) above	12th September, 2012"

[F. No. 1(6)/2014-TW]

SYEDAIN ABBASI, Jt. Secy.

Note .— The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. 415(E), dated the 12th March, 2012 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 2128(E), dated the 10th September, 2012 ; S.O. 2510(E), dated the 17th October, 2012, S.O. 450(E), dated the 15th February, 2013, S.O. 853(E) dated the 28th March 2013, S.O. 3011(E) dated the 1st October 2013, S.O. 979(E) dated 31st March, 2014 and S. O. 3064(E) dated 4th December, 2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.